(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 02/2024.25
नई दिल्ली, दिनांकः– 09 अप्रैल, 2024

विषयः तरबूज के बीज की आयात निगरानी प्रणाली (एमएस–आइएमएस) के कार्यान्वयन के संबंध में।

समय–समय पर संषोधित विदेष व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना 05/2023 दिनांक 05.04.2024 के संदर्भ में, महानिदेषक विदेष व्यापार एतद्द्वारा तरबूज के बीज की आयात निगरानी प्रणाली (एमएस–आइएमएस) के तहत आयात खेपों के पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:–

i. आयातक एमएस–आइएमएस के तहत डीजीएफटी बेवसाइट *>सेवाएं > आयात प्रबंधन प्रणाली > आयात निगरानी प्रणाली के तहत सेवाएं > तरबूज के बीज और पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।* आयातक को एमएस–आइएमएस में अग्रिम जानकारी देने और 500/– रुपये के ऑनलाइन भुगतान पर एक स्वचालित पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी।

ii. संबंधित आयातक (आयातकों) को लदान बिल (पोतलदान किया गया) की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर एमएस–आइएमएस पंजीकरण करना होगा।

iii. 1 स्वचालित पंजीकरण संख्या केवल 1 विषिष्ट उद्गम देष और 1 आयात पत्तन के लिए ही वैध होगी। दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या आयात खेपों की कितनी भी संख्या के लिए वैध होगी।

iv. लदान बिल (पोतलदान किया गया) विवरण एमएस–आइएमएस पंजीकरण में घोषित किया जाएगा। एकल एमएस–आईएमएस पंजीकरण के तहत अनेक लदान बिलों (पोतलदान किए गए) का विवरण विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

v. पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान लदान बिलों (पोतलदान किए गए) की सभी प्रतियां अनिवार्य रुप से अपलोड की जानी चाहिए। आयातक उक्त लदान बिल की प्रतियों पर निर्यातक विवरण को छिपाने का विकल्प चुन सकता है।

2. आयात निकासी के समय, संबंधित आयातक (आयातकों) को एफएसएसएआइ आदेष आरसीडी–12005/1/2021–नियामक–एफएसएसएआइ–भाग (2) (ई–1638) दिनांक 15.03.2024 के अनुरुप तरबूज के बीज के लिए एक वैध एफएसएसएआइ विनिर्माता लाइसेंस के साथ एमएस–आइएमएस स्वचालित पंजीकरण संख्या विवरण संबंधित सीमाषुल्क पत्तन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना आवष्यक है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः तरबूज के बीज के आयात के लिए आयात निगरानी प्रणाली (एमएस–आइएमएस) के तहत पंजीकरण के लिए समयसीमा और प्रक्रियाएं अधिसूचित की गई हैं।

संतोष कुमार सारंगी
9.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/89/180/14/एएम 21/पीसी–2(क)/ई–28288 से जारी)